कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1924 /11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, लखनऊः दिनांकः फरवरी 02 ,2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में।

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–3106/81–2–2023–79/1991, दिनांक 15.01.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–2940/मी0क्षे0/33, दिनांक 29.01.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक–2940/मी0क्षे0/33, दिनांक 29.01.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 1924 /11–सी–FP/UP/Min/29061/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 9946 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,जनवरी, 29 – 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनंऊ।

Ad.S.O.
ccf/Nodal
S.O.
01/02/24

विषयः– जनपद–सोनभद्र रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/MIN/29061/2017)

सन्दर्भः– 1–अनु सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक–3106/81–2–2023–79/1991 दिनांक–15.01.2024
2– आपका पत्रांक–1771/11–सी FP/UP/MIN/29061/2017दिनांक–16.01.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण मे संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण मे उ0प्र0,शासन के सन्दर्भित पत्र दिनांक–15.01.2024 द्वारा मांगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दियेय गये है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–2650/रेनुकूट/15–38 दिनांक 27.01.2024(**छाया प्रति संलग्न**) द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख उल्लिखित निर्धारित टेबुलर फार्म मे निम्न प्रकार संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

क्र0 सं0	अनु सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ का पत्रांक–3106/81–2–2023–79/1991 दिनांक–15.01.2024 अंकित विवरण जिस पर सूचना/आख्या चाही गयी है।	अनुपालन आख्या
1	इस मुझे कहने का निर्देश हुआ है किउक्त दिनांक–31.07.2023 के साथ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र,मीरजापुर के पत्र दिनांक–25.08.2022 में अंकित बिन्दु सं0–4 की अद्यतन स्थिति/आख्या एवं आपके पत्र संख्या––419/11–सी दिनांक–20.08.2015 की प्रति संलग्नकों सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे परियोजना प्रस्ताव मे अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे आख्या/अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार हैः– 1–कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक–25.08.2022 के बिन्दु संख्या–4 मे अंकित विवरण एवं बिन्दुवार आख्या को मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–731/11–सी दिनांक–29.08.2022 द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सन्दर्भित किया गया जिसके क्रम मे उ0प्र0शासन स्तर से कोई निर्णय लिये जाने की जानकारी प्रभागीय कार्यालय एवं इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

		2–कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–419 / 11–सी दिनांक–20.08.2015 की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या– [illegible]/अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–2650 / ओबरा / 15–38 दिनांक 27.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकूट वन प्रभाग,रेनूकूट

सोनभद्र– (उ0प्र0)

05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक–2650 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट,जनवरी, 27, , 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध मे । (ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017

संदर्भः– 1–अनु सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का पत्र संख्या–3106/81–2–2023–79/1991 दिनांक– 15.01.2024
2–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–1771/11–सी– FP/UP/MIN/29061/2017 लखनऊ दिनांक–16.01.2024
3– मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्र संख्या– 2843/मी0/33 दिनांक– 18.01.2024

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने की कृपा करें । उक्त प्रकरण मे उ0प्र0 शासन के संदर्भित पत्र दिनांक– 15.02.2024 द्वारा मॉगी गयी वांछित सूचना/अभिलेख निम्न विवरण के अनुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	अनु सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन ,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ का संदर्भित पत्र दिनांक– 15.01.2024 मे अंकित विवरण जिस पर सूचना/आख्या चाही गयी है ।	प्रभाग की अनुपालन आख्या /अद्यतन स्थिति
1	2	3
1	---इस मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिनांक– 31.07.2023 के साथ कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक– 25.08.2022 मे अंकित बिन्दु संख्या– 4 की अद्यतन स्थिति/आख्या एवं आपके पत्र संख्या–419/11– सी दिनांक– 20.08.2015 की प्रति संलग्नको सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे , जिससे परियोजना प्रस्ताव मे अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभाग की आख्या/ अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :– 1–कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र दिनांक–25.08.2022 के विन्दु संख्या– 4 मे अंकित विवरण एवं विन्दुवार आख्या को मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊके पत्र संख्या– 731 दिनांक–29 08.2022 द्वारा प्रमुख सचिव , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को संदर्भित किया गया जिसके क्रम मे उ0प्र0 शासन स्तर से कोई निर्णय लिये जाने की जानकारी प्रभाग को प्राप्त नही है 2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी , उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– 419/11–सी दिनांक– 20.08.2015 की प्रति संलग्नको सहित संलग्न है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों मे :

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
प्रभागीय वनाधिकारी

बन्दोबस्त
मु0 ल0 लि0
29/1/024

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- /II-C , दिनांक, लखनऊ, अगस्त 20 , 2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : नार्दन कोल फिल्ड लि0 की कृष्णशिला एवं बीना विस्तार परियोजना को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर का पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दि0 20.08.2015

महोदय,

विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के पत्रांक-880/मीरजापुर/33, दिनांक 20.08.2015 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक-760/रेनुकूट/15, दिनांक 18.08.15 की प्रति संलग्न करते हुए आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 419 / , दिनांकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उनके उपरोक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

20/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

15.
26.84
21/12/2015

19/12

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- /मीरजापुर/33 दिनांक, मीरजापुर, जुलाई , 25 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषय— जनपद सोनभद्र में नार्दन कोल फील्ड्स लि0 द्वारा ककरी परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ— उ0प्र0 शासन का पत्र दिनांक 16.07. 2015 के कम में आपका पृष्ठांकन संख्या— 140/11—सी, दिनांक 16.07.2015 ।

महोदय,

विषयक प्रकरण में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी के पैरा— 1.9 के उप धारा (i), (ii), (iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुकम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। उक्त के अनुपालन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी , रेनुकूट को इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या— 309/मी0/33 दिनांक 16.07.2015 द्वारा प्रकरण में स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय पत्रांक— 330/रेनुकूट/15 दिनांक 22.07.2015 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि0 द्वारा ककरी परियोजना में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु एन0सी0एल0 के पक्ष में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु प्रभागीय कार्यालय के पत्र संख्या— 293/रेनुकूट/ 15 दिनांक 16.07.2015 द्वारा चेयरमैन एवं मैनजिंग डायरेक्टर , नार्दन कोल फील्ड्स लि0 , सिगरौली एवं महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि0, ककरी, सोनभद्र को सूचित किया गया । महाप्रबन्धक , नार्दन कोल फील्ड्स लि0, ककरी, सोनभद्र द्वारा प्रभागीय कार्यालय कक्ष में दिनांक 20.07.2015 को उपस्थित हुये , परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही कर पाये ।

यहॉ यह भी उल्लेख किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा— 1.9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही उल्लंघन का प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी , रेनुकूट का पत्रांक— 4704/रेनुकूट/12 बैठक, दिनांक 10.06.2013 जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित किया गया है जिसे इस कार्यालय के पत्र संख्या— 6473/मी0/33 दिनांक 29.06.2013 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रेषित उल्लंघन प्रस्ताव को परीक्षणोपरान्त मूल संलग्नकों सहित अपने कार्यालय पत्र संख्या— 1571/11—सी, उल्लंघन , दिनांक 30.01.2014 द्वारा प्रमुख सचिव वन , उ0प्र0 शासन , वन अनुभाग— 2 लखनऊ की सेवा मे प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि इस कार्यालय एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को प्रेषित किया गया है।

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धान्त के पैरा 1.9 के उप धारा– (i), (ii), (iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुक्रम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रेषित की जा चुकी है। प्रभागीय वनधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को पुनः प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित अनुरोध किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को तद्नुसार आपकी सेवा में संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है। कृपया तद्नुसार प्रकरण को शासन में प्रेषित करने की कृपा करें। पूर्व मे प्रेषित प्रस्ताव पुनः छाया प्रति संलग्नकर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 430 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके कार्यालय के पत्र संख्या–330/रेनुकूट/15 दिनांक 22.07.2015 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)
पत्रांक– 330 /रेनुकूट/ 15 दिनांक,रेनुकूट,जुलाई– 22 2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा ककरी परियोजना में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन के संबंध में ।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्र दिनांक–16.07.2015 के कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 140/11सी दिनांक– 16.07.2015 पर आपका पृष्ठांकन संख्या– 309/मी./33 दिनांक– 16 जुलाई 2015

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्वान्त के पैरा 1.9 के उप धारा–(i),(ii),(iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुकम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंधन सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है ।

उक्त पत्रों के अनुपालन में आख्या प्रेषित करने के पूर्व , एन.सी.एल. को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु, इस कार्यालय के पत्र संख्या– 293/रेनुकूट/15 दिनांक– 16.07.2015 द्वारा चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्डस लि. सिंगरौली, एवं महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी –सोनभद्र को सूचित किया गया । उक्त के कम में महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि. ककरी –सोनभद्र, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक– 20.07.2015 को उपस्थित हुए ,परन्तु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन के संबंध में कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नही कर पाये ।

यहाँ यह उल्लेख करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्वान्त के पैरा 1.9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप ही उल्लंधन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र संख्या– 4704/रेनुकूट/ 12 बैठक दिनांक– 10.06.2013 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया था, जिसे आपने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473/मीरजापुर/33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में प्रेषित किये गये । उक्त उल्लंधन के प्रस्ताव का परीक्षण करने के उपरान्त कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ ने भी अपने पत्र संख्या– 1571/11–सी–उल्लंधन दिनांक– 30.01.2014 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन, वन अनुभाग–2 लखनऊ की सेवा में प्रेषित करते हुए पत्र की प्रतिलिपि आपके कार्यालय एवं इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की गयी ।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्वान्त के पैरा 1.9 के उप धारा–(i),(ii),(iii) तथा (iv) के प्राविधानों के अनुकम में सुस्पष्ट आख्या सहित उल्लंधन सम्बन्धी प्रस्ताव उपरोक्तानुसार प्रेषित की जा चुकी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रेषित प्रस्ताव को पुनः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ की सेवा में प्रेषित करने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित है ।

भवदीय

(तुलसीदास)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- /11-सी-(उ०प्र०) दिनांक, लखनऊ, जनवरी 30 /2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव, (वन)
उ0प्र0शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय- वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन।

महोदय,

मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के उल्लंघन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षणोंपरान्त मूल संलग्नकों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है, कि कृपया शासन स्तर से उक्त प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः-यथोक्त (58 पृष्ठ)।

भवदीय

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1571 / दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उनके पत्रांक 6473/सिक्युरि/33 दिनांक 29.6.13 के क्रम में।
2- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

(ए0के0द्विवेदी)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 6473 /मीरजापुर/ 33 दिनांक, मीरजापुर, जून 29 ,2013

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषय- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन ।

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट का पत्र संख्या- 4704/रेनुकूट/12 बैठक, दिनांक 10.06.2013 ।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है (छाया प्रति संलग्न) है। पत्र में उल्लिखित है कि मे0 नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 15.12.2012 को प्रभागीश वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड लि0 को आमंत्रित किया गया (संलग्नक-1)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस0के0सिंह, खान अधिकारी एवं श्री यू0एस0सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए । प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा उक्त बैठक में एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा-4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैण्को पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन0सी0एल0 द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन0सी0एल0 को बैठक मे उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये । एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये । बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2071/रेनु0/12, दिनांक 15.12.2012 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक-2) ।

2. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0- 2161/रेनु0/12, दिनांक 24.12.2012 के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक-3)। उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 महाप्रबन्धक/ककरी/11/2012/893, दिनांक 27.12.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0एल0 द्वारा लैन्को या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नही है तथा महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (संलग्नक-4) । तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2401/10टी.सी., दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से श्री एस0के0झॉ, महा प्रबन्धक एन0सी0एल0 ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक-5)। दिनांक 19.01.2013 को एन0सी0एल0 ककरी परियोजना की ओर से श्री एस0के0सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू0एस0सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई। तत्समय उन्हें प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 2493/रेनु0/16एफ-39, दिनांक 19.01.2013 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2013 की

तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक–6) । दिनांक 28.01.2013 को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0– मु0महा प्र0/ककरी वन/2013/898, दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक–7) ।

3. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन0सी0एल0 ककरी द्वारा धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0, रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है ।

क. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे0 हिण्डालको इण्ड0 लि0 रेनुसागर पावर डिविजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	–"–	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
3	मे0 लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010	वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
	योग			47.09 एकड़	18.2608 एकड़

4. मे0 नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना द्वारा मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा–4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत् नोटिस प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 3271/रेनु0/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक–8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के पत्र सं0 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नही कराई है (संलग्नक–9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :–

क सं	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास,	द्वितीयक	मे0 अनपरा पावर लि0, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में

		एन0सी0एल0, सिगरौली		एन0सी0एल0 की ओर से हस्ताक्षर किये गये ।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
3	जी.पी.पुरे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
4	एस0के0झा	महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0,ककरी,सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में ।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया ।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक / सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं0 म0महाप्रन्धक / ककरी वन / 2012 / 893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रेषित उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि0
ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन
भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बंधित
वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा–3क के तहत कार्यवाही
हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को
सूचित करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र) सेक्टर –एच0, अलीगंज, लखनऊ को वस्तुस्थिति से अवगत कराने की कृपा करें ।

उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे हैः–

1. एन0सी0एल0 द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छाया प्रतियां संलग्न है (संलग्नक–10 एवं 11)।
2. लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक–12, 13 एवं 14)।
3. धारा–4 की विज्ञप्ति सं0 2849 / 14–3 / 4 / (51)'69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक–15) ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या 6473 अ / सगदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अजय कुमार) 20/06
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

D:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट, सोनभद्र ।
पत्रांक 4704 /रेनुकूट/ 12 ..., दिनांक, रेनुकूट, जून 10 – 2013

सेवा में,

वन संरक्षक,
विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर ।

विषय– वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन ।

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना के अन्तर्गत धारा 4 में विज्ञापित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 15.12.2012 को प्रभागीय कार्यालय, रेनुकूट में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना नार्दन कोल फील्ड लि0 को आमंत्रित किया गया (संलग्नक–1)। उक्त बैठक में ककरी परियोजना के ओर से श्री एस0के0सिंह, खान अधिकारी एवं यू0एस0सिंह पर्यावरण अधिकारी उपस्थित हुए । अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बैठक में एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 के नियंत्रण के अधीन भारतीय वन अधिनियम 1980 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित वन भूमि को भारत सरकार के अनुमति प्राप्त किये बिना लैण्को पावर एवं अन्य निजी एजेंसियों को लीज पर एन0सी0एल0 द्वारा भूमि दिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा एन0सी0एल0 को बैठक मे उपस्थित अधिकारियों के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये गये । एन0सी0एल0 के उपस्थित अधिकारियों को एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज डीड पर दी गई भूमि के अभिलेख इत्यादि प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिये गये । बैठक के कार्यवाही के साक्ष्य के रूप में प्रभागीय कार्यालय के पत्र सं0 2071/रेनु0/12, दिनांक 15.12.2012 की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है (संलग्नक–2) ।

2. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उन्हे उक्त सूचना/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 2161/रेनु0/12, दिनांक 24.12.2012 के माध्यम से अनुस्मारक प्रेषित किया गया (संलग्नक–3) । उक्त अनुस्मारक के पश्चात महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 महाप्रबन्धक/ककरी/11/2012/893, दिनांक 27.12.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0एल0 द्वारा लैन्को या अन्य किसी एजेंसी को जो भूमि दी गई है वह वन भूमि नही है तथा महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0, ककरी परियोजना द्वारा लीज सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये (संलग्नक–4) । तत्क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0 2401/10टी.सी., दिनांक 11.01.2013 के माध्यम से श्री एस0के0झाँ, महा प्रबन्धक एन0सी0एल0 ककरी को उक्त अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देते हुए अवगत कराया गया कि वन (संरक्षण) अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धी वांछित अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के श्रेणी में आता है (संलग्नक–5)। दिनांक 19.01.2013 को एन0सी0एल0 ककरी परियोजना की ओर से श्री एस0के0सिंह, महाप्रबन्धक एवं श्री यू0एस0सिंह, पर्यावरण अधिकारी, प्रभागीय कार्यालय में उपस्थित हुए परन्तु उनके द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कतिपय कारणों से असमर्थता व्यक्त की गई । तत्समय उन्हें इस कार्यालय के पत्र सं0 2493/रेनु0/16एफ–39, दिनांक 19.01.2013 के माध्यम से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 28.01.2013 की तिथि निर्धारित की गई (संलग्नक–6) । दिनांक 28.01.2013 को महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना द्वारा अपने कार्यालय के पत्र सं0 मु0महा प्र0/ककरी वन/2013/898, दिनांक 27.01.2013 के माध्यम से एन0सी0एल0 द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दी गई भूमि की लीज डीड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई (संलग्नक–7) ।

3. एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा उपलब्ध कराये गये लीज डीड एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार एन0सी0एल0 ककरी द्वारा धारा–4 में विज्ञापित वन भूमि भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दी गई है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 का उल्लंघन है ।

क्र. सं.	लीज धारक	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	निहित वन भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
1	मे0 हिण्डालको इण्ड0 लि0 रेनुसागर पावर डिविजन, सोनभद्र	21.02.2009	एश पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते के निर्माण हेतु	7.43 एकड़	5.5203 एकड़
2	–"–	10.06.2011	कोयला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.86 एकड़	6.1405 एकड़
			वार्फ वाल/रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़
3	मे0 लैंको अनपरा पावर लि0, अनपरा सोनभद्र	30.11.2010		47.09 एकड़	18.2608 एकड़
	योग				

4. नार्दन कोल फील्डस लि0, ककरी परियोजना द्वारा मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर पावर डिवीजन एवं लैन्को अनपरा पावर ली0, अनपरा सोनभद्र को उक्त विवरण के अनुसार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना धारा–4 में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि वनोत्तर प्रयोग हेतु लीज पर दिये जाने से सम्बन्धित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन बावत नोटिस इस कार्यालय के पत्र सं0 3271/रेनु0/ दिनांक 22.02.2013 के माध्यम से चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली को प्रेषित किया गया तथा उनसे इस आशय का आग्रह किया गया कि उक्त उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उनके नाम व पद तथा उनके उत्तरदायित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाये (संलग्नक–8)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से कोई सूचना प्राप्त न होने पर इस कार्यालय के पत्र सं0 3412/37, दिनांक 02.03.2013 के माध्यम से अनुस्मारक भी प्रेषित किया गया परन्तु उनके स्तर से कोई सूचना उपलब्ध नही कराई है (संलग्नक–9)। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, नार्दन कोल फील्ड लि0, सिंगरौली के स्तर से उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम का साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के विचार से इस उल्लंघन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक जिम्मेदारी हेतु उत्तरदायी अधिकारियों का नाम उसका औचित्य निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद	जिम्मेदारी का स्तर	औचित्य
1	2	3	4	5
1	अमितव राव	मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 अनपरा पावर लि0, अनपरा के साथ निष्पादित लीज डीड 03.11.2010 में एन0सी0एल0 की ओर से हस्ताक्षर किये गये ।
2	संजय मिश्रा	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 10.06.2011 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
3	जी.पी.पुर्वे	महाप्रबन्धक, राजस्व एवं पुनर्वास, एन0सी0एल0, सिंगरौली	द्वितीयक	मे0 हिण्डालको इण्ड0लि0 रेनुसागर के साथ दिनांक 21.02.2009 को निष्पादित लीज डीड पर एन0सी0एल0 सिंगरौली के हस्ताक्षर किये गये ।
4	एस0के0झॉ	महाप्रबन्धक, एन0सी0एल0, ककरी, सोनभद्र	प्राथमिक	ककरी परियोजना के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष एवं मुखिया के रूप में ।
5	यू0एस0सिंह	पर्यावरण अधिकारी, ककरी परियोजना	प्राथमिक	प्रोजेक्ट की भूमि के कस्टोडियन के रूप में प्रभाग स्तर पर आयोजित इस प्रभाग से सम्बन्धित समस्त बैठकों में भाग लिया गया ।
6	एस0के0सिंह	स्टाफ अधिकारी, कार्मिक/ सुरक्षा इंचार्ज, ककरी परियोजना	प्राथमिक	महाप्रबन्धक, ककरी परियोजना के कार्यालय के पत्र सं0 म0महाप्रन्धक/ ककरी वन /2012/893, दिनांक 27.02.2012 द्वारा सूचित होने के कारण ।

अतः उपरोक्त विवरण के आधार पर नार्दन कोल फील्ड लि0 ककरी परियोजना में परियोजना के नियंत्रणाधीन भारतीय वन अधिनियम में विज्ञापित कुल 18.2608 एकड़ वन भूमि को भारत सरकार की अनुमति के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु निजी कम्पनियों को लीज पर दिये जाने सम्बधित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंघन का प्रकरण अधिनियम की धारा –3क के तहत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, सेक्टर एच, अलीगंज लखनऊ को सूचित करने का कष्ट करें । उक्त उल्लंघन की पुष्टि हेतु निम्न अभिलेख संलग्न किये जा रहे है:–

1. एन0सी0एल0 द्वारा निष्पादित लीज डीड 21.02.2009, 10.06.2011 एवं 30.11.2010 की छायाप्रतियां संलग्न है (संलग्नक–10 एवं 11)।
2. लीज में दी गई भूमि में निहित वन भूमि का विवरण संलग्न है (संलग्नक–12, 13 एवं 14)।
3. धारा–4 की विज्ञप्ति सं0 2849/14–अ/4/(51)'69, दिनांक 16.09.69 की प्रति (संलग्नक–15) ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आशीष तिवारी) 08/06

प्रभागीय वनाधिकारी,

रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

पत्रांक 5705 –अ/सम, दिनांक ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नकः–यथोपरि ।

(आशीष तिवारी) 08/06
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।